नीली बत्ती वाली कार पर बर्थडे पार्टी, डीएसपी की पत्नी पर जुर्माना

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: बलरामपुर जिले में एक पुलिस अधिकारी (डीएसपी) की पत्नी द्वारा नीली बत्ती लगे वाहन के बोनट पर बैठकर सड़क पर जन्मदिन मनाने के मामले में हाई कोर्ट में शासन की ओर से हलफनामा पेश किया गया है। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई। इसमें राज्य के मुख्य सचिव का व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल कर बताया गया कि दोषी महिला के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर आरोप पत्र पेश किया जा चुका है। साथ ही, न्यायालय को यह भी अवगत कराया गया कि मामले में जुर्माना अधिरोपित कर दिया गया है।

बलरामपुर जिले में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 12वीं बटालियन रामानुजगंज में तैनात डीएसपी तस्लीम आरिफ की पत्नी का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ था। इसमें वह एक वाहन के बोनट पर बैठकर केक काटते हुए अपना जन्मदिन मना रही थीं। वाहन पर नीली बत्ती लगी हुई थी।